<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>1.06.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में, मेसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न परिसरों पर 21.05.2026 और 29.05.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान, दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड, के वेंकटेश्वर राव (निदेशक), आधुनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीसीआईएल), महेश अग्रवाल (कोलकाता), निदेशक, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अन्य व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी ने **1.27 करोड़ रुपये** मूल्य का नकद और सोना (आभूषण) जब्त किया है और पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत **18 करोड़ रुपये** की शेष राशि वाले विभिन्न बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है।

सीबीआई द्वारा मेसर्स दीपक केबल्स इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) और उसके निदेशक के. वेंकटेश्वर राव और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को भारी मात्रा में ऋण प्राप्त करके और ऋण राशि का गबन करके **899.35 करोड़ रुपये** की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने बैंक ऋण प्राप्त करने और उसे जारी रखने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए और खातों में हेरफेर किया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी खरीद-फरोख्त, चक्रीय व्यापार और फर्जी कॉर्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए कई संस्थाओं का इस्तेमाल किया। इन लेन-देनों का उपयोग कारोबार को कृत्रिम रूप से बढ़ाने, बैंकों से निकासी क्षमता बढ़ाने, मौजूदा ऋणों को नवीनीकृत करने और अपराध की आय को संबंधित कंपनियों और व्यक्तिगत खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए किया गया, जिससे इसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके।

यह भी पता चला है कि के. वेंकटेश्वर राव के नियंत्रण में स्थित संबंधित संस्थाओं को भारी मात्रा में ऋण राशि बिना किसी व्यावसायिक औचित्य और संदिग्ध उद्देश्य के हस्तांतरित की गई थी।

आगे की जांच जारी है।